

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
संख्या-1608 / स्था0-3/90(26)18/2008 दिनांक-10-8-16

शासनादेश संख्या-18/2016/539/37-1-2016-3(06)/2016, दिनांक-11 मार्च, 2016 की प्रति निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, साथ ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत करायें।

- 1- वित्त नियंत्रक, प्रधान कार्यालय।
- 2- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-1, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
- 6- समस्त संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 7- उप निदेशक(प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, उ0प्र0, महानगर, लखनऊ।
- 8- समस्त क्षेत्र प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
- 9- निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
- 10- समस्त प्रशासनिक अधिकारी, पशुपालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(नेखू लाल)  
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

P.T.O.

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,  
प्रमुख सचिव,  
पशुधन विभाग,  
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक(पशासन एवं विकास),  
पशुपालन विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पशुधन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 11 मार्च 2016

विषय- सेवा सम्बन्धी/अन्य मामलों में सरकारी सेवकों द्वारा उचित माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के सज्ञान में आया है कि सरकारी सेवकों द्वारा सीधे उच्चतम स्तर पर सेवा सम्बन्धी मामलों व अन्य मामलों पर सीधे पत्राचार किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 का उल्लंघन है। प्रदेश के सरकारी सेवकों के आचरण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 यथासंशोधित निर्गत की गयी है, जिसके नियम-27ए में निम्नवत प्राविधान किये गये हैं:-

Representation by government servants - No government servant shall whether personally or through a member of his family, make any representation to Government or any other authority except through the proper channel and in accordance with such directions as the Government may issue from time to time. The Explanation to rule 27 shall apply to this rule also.

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा दिये जाने वाले प्रत्यावेदनों को "द्वारा उचित माध्यम" ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन किये जाने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध समुचित/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

अतः कृपया उक्त सन्दर्भित नियमावली के नियम-27 ए का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।

भवदीय  
रजनीश गुप्ता  
प्रमुख सचिव

संख्या-18/2016/539 (1)/37-1-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2 पशुपालन विभाग।
- 2- समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, 30प्र0,।
- 3- उप निदेशक(प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, महानगर लखनऊ।
- 4- पशुधन अनुभाग-2।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
दया शंकर सिंह  
संयुक्त सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।